



भाकृअनुप – केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान
(समतुल्य विश्वविद्यालय)
पंचमार्ग, ऑफ यारी रोड, वरसोवा
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई – 400061



एफ. नं. २३(३)/२०२५/स्था./

दिनांक १८ अगस्त २०२५

कार्यालय आदेश

निदेशक, आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई ने श्री अंगम लेनिन सिंह, वैज्ञानिक, आईसीएआर - सीआईएफई, मुंबई को फ्लैट नंबर 202, अजंता ट्रांजिट बिल्डिंग, सीआईएफई सात बंगला परिसर में निम्नलिखित शर्तों पर आवंटित किया है :

1. लाइसेंस शुल्क की वसूली सरकार द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार की जाएगी। भारत सरकार, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, संपदा निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/2/2015-पोल.III दिनांक 19 जुलाई, 2017 और क्रमांक 18011/2/2015-पोल.III दिनांक 29 जुलाई उक्त तिमाही के कब्जे की तारीख से जून, 2020। वह एचआरए के भुगतान के लिए पात्र नहीं है।
2. उपरोक्त आवंटन एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर किया गया है। अनुरोध और योग्यता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।
3. उपरोक्त आवंटन क्षेत्र, प्रयोगशालाओं, कार्यालय और संस्थान में आधिकारिक कार्य के लिए आवश्यक सेवाओं के निष्पादन में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
4. यदि इस कार्यालय आदेश जारी होने की तारीख से 8 (आठ) दिनों के भीतर कब्जा नहीं लिया गया तो फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
5. आबंटिती को सभी प्रासंगिक मौजूदा नियमों और आदेशों का पालन करना होगा और समय-समय पर आईसीएआर-सीआईएफई / आईसीएआर द्वारा संशोधित किया जाएगा।

पूना बहल
(पूनम एन. बहल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. श्री अंगम लेनिन सिंह, वैज्ञानिक, सीआईएफई, मुंबई।
2. निदेशक / संयुक्त निदेशक सेल सीआईएफई, मुंबई।
3. संपदा अधिकारी, सीआईएफई, मुंबई।
4. सुरक्षा अधिकारी, सीआईएफई, मुंबई।
5. प्रभारी अधिकारी (कार्य), सीआईएफई, मुंबई।
6. सीएओ (एसजी)/नियंत्रक/एफएंडएओ/सचिव, आईजेएससी, सीआईएफई, मुंबई।
7. डीडीओ, सीआईएफई, मुंबई। नियमानुसार लाइसेंस शुल्क वसूला जा सकता है।
8. व्यक्तिगत फ़ाइल/सेवा पुस्तिका/वेतन बिल सहायक
9. webmaster@cife.edu.in



ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES EDUCATION

(Deemed University)

(University under Sec. 3 of UGC Act),

Indian Council of Agricultural Research

Panch Marg, Off. Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai 400 061

Tel. No. 022-26361446/7/8, Website : <https://www.cife.edu.in>



F. No. 23(3)/2025/Estt./

Dated 18th August 2025

OFFICE ORDER

The Director, ICAR-Central Institute of Fisheries Education, Mumbai has allotted **Flat No. 202** in the **Ajanta Transit Building** at CIFE Seven Bungalow Campus to **Mr. Angom Lenin Singh, Scientist, ICAR – CIFE, Mumbai** on the terms & conditions mentioned here under:

1. The recovery of license fee shall be made as per revised rates issued by the Govt. of India, Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, Directorate of Estates, New Delhi vide Office Memorandum No. 18011/2/2015-Pol.III dated 19th July, 2017 and No. 18011/2/2015-Pol.III dated 29th June, 2020 from the date of occupation of the said quarter. He is not eligible for the payment of HRA.
2. **The above allotment has been made on temporary basis for a period of one year. The same shall be reviewed by the Competent Authority based on the request and merit.**
3. The above allotment has been made keeping in view the need for accommodation of officials/ staff involved in executing essential services at off hours for official work in field, laboratories, office, and the institute.
4. The allotment of the flat will stand cancelled if possession is not taken within 8 (eight) days from the date of issue of this office order.
5. The allottee has to abide by all relevant extant Rules and Orders and as modified from time to time by the ICAR-CIFE / ICAR.


(Poonam N. Behl)

Sr. Administrative Officer

Distribution:

1. Mr. Angom Lenin Singh, Scientist, CIFE, Mumbai.
2. Director & Joint Director Cell CIFE, Mumbai.
3. The Estate Officer, CIFE, Mumbai.
4. Security Officer, CIFE, Mumbai.
5. Officer Incharge (Works), CIFE, Mumbai.
6. JD(Admn)/Comptroller/ SF&AO/Secretary, IJSC, CIFE, Mumbai.
7. DDO, CIFE, Mumbai. HRA & Licence fee may be recovered as per rules.
8. Personal File/ Service Book/ Pay Bill Assistant
9. webmaster@cife.edu.in